न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2018	05—01—2018	27—02—2018

01— दुलीचन्द

02— रमेश

03— शीशराम

04— पप्पी पुत्रान बुद्वा जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम बैराहेडी तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार हरसोली दिनांक 28.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 19/2017

उपस्थितः—

01—श्री भूपसिंह पोसवाल —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार हरसोली के आदेश दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बैराहेडी की सरकारी बंजड़ भूमी आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 1.93 है०, मे से 0.42 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बैराहेडी की सरकारी बंजड़ भूमी आराजी खसरा नम्बर 270 रकबा 1.93 है०, मे से 0.42 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने एक माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चातवर्ति अतिक्रमण साबित होता है। रिपोर्ट पटवारी हलका बघेरीखुर्द दिनांक 09.01.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.12.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27—02—2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

27.2.18

(बी.एल.रमण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)